


आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर पीठ में निजी क्षेत्र में संचालित नर्सिंग शिक्षण संस्था द्वारा दायर एकलपीठ याचिका में पारित अन्तिरिम आदेश सी.बी.रीट पिटिशन नं० 17371/2023 दिनांक 16.01.2024 की पालना में एवं राज्य सरकार के क्रमांक प.24(16)/चिस्वा./गुप-3/2023 दिनांक 16.01.2024 द्वारा प्रदान की गई अनुमति के अनुसरण में निजी क्षेत्र में संचालित नर्सिंग मान्यता प्राप्त संस्था श्री बालाजी स्कूल ऑफ नर्सिंग, लवकुश अपार्टमेन्ट, 11/939, 890 चौपारानी हॉउसिंग बोर्ड, जोधपुर, को जीएनएम सत्र 2023-24 की द्वितीय कॉउन्सलिंग पूर्व की भौति ही सीट आवंटन हेतु शामिल किया जाता है।

उक्त संस्थान के अनापत्ति पत्र सक्षम स्तर से अनुमोदित है।




(सुरेश नवल)
निदेशक(अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
मुख्यालय

क्रमांक : प्रशि./ज.न.प्र./एम-133/2024/57

दिनांक 22/2/2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-3) विभाग, राज. जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।
3. उप प्रबंधक (टेक्नीकल), राज. कोम्प इन्फो सर्विस लिमिटेड, योजना भवन, जयपुर (राज०) को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु।
4. अध्यक्ष/सचिव, प्राइवेट फिजियोथैरेपी नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल इन्स्टीट्यूशंस फ़ैडरेशन ऑफ जयपुर 17, मोतीलाल अटल रोड, संगम होटल, पोलोविट्री सिनेमा के पास, जयपुर।
5. अध्यक्ष/सचिव, प्राइवेट निजी नर्सिंग स्कूल्स फ़ैडरेशन, ई-277, लालकोठी स्कीम, जयपुर।
6. प्रधानाचार्य, श्री बालाजी स्कूल ऑफ नर्सिंग, लवकुश अपार्टमेन्ट, 11/939, 890 चौपारानी हॉउसिंग बोर्ड, जोधपुर
7. प्रभारी सर्वर कक्ष, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उपरोक्त आदेश विभाग की वेबसाइट पर जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2023-24 में अपलोड करने का श्रम करे।
8. आदेश/रक्षित पत्रावली।


निदेशक(अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
मुख्यालय